भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2203

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया व

एलआईसी द्वारा प्रवेश आयु में कमी और बीमा शुल्क में वृद्धि

2203. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलआईसी ने अपनी नई अक्षय निधि योजना के लिए प्रवेश आयु 55 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एलआईसी ने बीमांकित राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए करने का भी प्रावधान किया है और यदि हां, तो सरकार की, यह ध्यान में रखते हुए कि गांवों में गरीब लोग बीमा की अधिक राशि वहन करने में असमर्थ हैं, इस संबंध मे क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 1956 के पश्चात से एजेंटों को दिये जाने वाले कमीशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि इसे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी वित्तीय स्थिति दयनीय हो गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किए जाने का विचार हैं;

(घ) क्या यह सही है कि एलआईसी के प्रति वर्ष लाभ कमाने के बावजूद बीमा धारक का बोनस पिछले दस वर्षों से नहीं बढ़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या एलआईसी ने एजेंट के कमीशन की वसूली के लिए क्लॉबैक क्लॉज शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार उपरोक्त प्रावधानों के कारण प्रभावित होने वाले एलआईसी एजेंटों के मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में कब तक आगे कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियां अपने उत्पादों को तैयार करने में विभिन्न सिद्धांतों का पालन करती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामकीय निर्धारण, बीमांकिक विश्लेषण, पिछले दावे का अनुभव शामिल है और तदनुसार प्रवेश आयु, बीमित राशि, प्रीमियम, बोनस, कमीशन आदि के संबंध में निर्णय लिया जाता है। बीमा कंपनियां विनियमित वाणिज्यिक संस्थाएं हैं, जिन्हें ईरडाई द्वारा जारी विनियामकीय दिशानिर्देशों और अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित हामीदारी अंकन नीति के अनुरूप इन सभी मामलों पर निर्णय लेने का विकल्प प्राप्त है।

जबकि, एलआईसी की नई एंडोमेंट योजना के लिए, प्रवेश की अधिकतम आयु में 55 वर्ष से संशोधित कर 50 वर्ष कर दिया गया है, एलआईसी के कई उत्पाद जैसे निवेश प्लस, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जीवन अक्षय , न्यू जीवन अमर, पेंशन प्लस आदि में प्रवेश की अधिकतम आयु की 50 वर्ष से अधिक है। इसके साथ ही, एलआईसी ग्रामीण भारत सहित गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये की न्यूनतम बीमा राशि के साथ सूक्ष्म बचत जैसे उत्पादों उपलब्ध कराना जारी रखे हुए है । इसी प्रकार, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान नामक एक अन्य उत्पाद में, न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपये है। इस प्रकार एलआईसी लोगों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जाती है।

ईरडाई ने दिनांक 20.03.2024 को ईरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 और दिनांक 12.06.2024 को जीवन बीमा उत्पादों पर मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 1 वर्ष के बाद पॉलिसी रद्द होने की स्थिति में भुगतान किए जाने वाले विशेष अभ्यर्पण मूल्य की शुरुआत की गई है। तदनुसार, इसके अनुपालन में, एलआईसी ने एजेंटों की कमीशन संरचना को इस तरह से संशोधित किया है कि पहले वर्ष के कमीशन को थोड़ा कम कर दिया गया है जबकि बाद के वर्ष के लिए, को चौथे से छठे वर्ष के लिए कमीशन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, एलआईसी ने कमीशन की वापसी के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है ।

इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एलआईसी द्वारा बोनस की घोषणा पूलिंग के आधार पर उपलब्ध अधिशेष में से की जाती है, जिसमें वर्षों से बोनस दरों में स्थिरता, विभिन्न मूल्य आकार की पॉलिसियों के बीच क्रॉस सब्सिडी, पॉलिसीधारकों की युक्तिसंगत अपेक्षाएँ (पीआरई) और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार (टीसीएफ) जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। निवेश सम्बंधी अनुभव और दावों के अनुभव में उतार-चढ़ाव के बावजूद, बोनस दरों में अक्सर बदलाव नहीं किया जाता है और आम तौर पर इसे साल-दर-साल आधार पर स्थिर रखा जाता है।

*****

*****